07/08/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कुरुक्षेत्र ने अपने
वकील श्री महेन्द्रपाल चारण अधिवक्ता पेश
कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य
कोई मामला शेष नहीं है। प्रकरण को नहीं
चलाना चाहते हैं। उक्त प्रकरण को आपसी
राजीनामे की कृपा करें। प्रार्थी वकील श्री महेन्द्रपाल
वकील वादी श्री महेन्द्रपाल चारण द्वारा श्री
गयी अतः वाद के निवेदन पर वाद वापस
विड्रा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
मिसल पत्रावली शुमार हो कर नस्ती के काबिल।

कुरुक्षेत्र
Identified by

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ